उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी

और

माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा

14 दिसंबर, 2023

आदेश के विरुद्ध अपील संख्या **2023** का **372**

शुभम चौधरी .....याचिकाकर्ता

बनाम

साक्षी सेमवाल ..... प्रत्यर्थी

अपीलकर्ता के लिए वकील : श्री गौरव कांडपाल, अधिवक्ता।

आरक्षित तिथि: **14.09.2023**

वितरित तिथि : **14.12.2023**

न्यायालय ने यह निर्णय दिया :

निर्णय : **(माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे. द्वारा)**

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 और धारा 11 के तहत प्रतिवादी याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका (केस नंबर 221/2022) में अपीलकर्ता-विरोधी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण, 22.08.2023 को उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का एक आदेश पारित किया गया था। दिनांक 22.08.2023 के आदेश को वापस लेने के लिए अपीलकर्ता-विरोधी पक्ष द्वारा दायर आवेदन को विद्वान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, हरिद्वार ने दिनांक 29.08.2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया है। आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री गौरव कांडपाल को सुना।

3. श्री गौरव कांडपाल, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त मामला (केस संख्या 221/2022) 22.08.2023 को सूचीबद्ध किया गया था, और जब मामले को पुकार गया, तो अपीलकर्ता अपने वकील को बुलाने गया, लेकिन इस बीच, विद्वान न्यायाधीश ने उक्त आदेश दिनांक 22.08.2023 पारित कर दिया।

4. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह पाया गया है कि गवाह को बुलाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा गवाह को बुलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। आदेश दिनांक 22.08.2023 के पूर्व भी दिनांक 20.09.2022 को अपीलार्थी उक्त प्रकरण में अनुपस्थित था। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी के आवेदन पर उक्त एकपक्षीय आदेश दिनांक 20.09.2022 को 27.09.2022 को वापस लिया गया तथा उसे सुनवाई का अवसर दिया गया।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने परिवार न्यायालय को उक्त याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश के बावजूद अपीलार्थी की ओर से विलंब पाया गया है। उक्त याचिका एकतरफा दलीलों के लिए तय की गई है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि अपीलकर्ता 22.08.2023 पर न्यायालय में उपस्थित था, तो उसने एकतरफा आदेश को वापस लेने के लिए तुरंत आवेदन क्यों नहीं दायर किया। उन्होंने उक्त एकपक्षीय आदेश को वापस लेने के लिए 26.08.2023 को आवेदन क्यों दाखिल किया ।

6. अपीलकर्ता के आचरण के प्रकाश में, अपीलकर्ता के वकील की प्रस्तुति में कोई बल नहीं पाया जाता है। इसलिए, वर्तमान अपील को सुनवाई स्तर पर खारिज कर दिया जाता है।

_____

मनोज कुमार तिवारी, ए.सी.जे.

_____

आलोक कुमार वर्मा, जे.

तिथि 14.12.2023

JkJ/SB